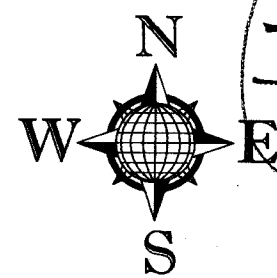


IN KHASRA NO.- 1048/1, 1049/1, 1734/1
AT VILLAGE:- SIRSI, TEH.- JAIPUR, DIST. JAIPUR.


$$\begin{array}{r} 1322. \\ \hline B. \end{array}$$

1049/1

28.77

9.00M

15
1401.40
SQ.MT.
1048/1

4.30M

4.30M

50.05

29.36

4.30M

12.68

77.77
SQ.MT.

14

12.81

98.95
SQ.MT.

13

12.98

ROAD 9 M.

ROAD 9.0 MT. WIDE

ROAD 9 M.

12.84

92.95
SQ.MT.

12

12.74

77.45
SQ.MT.

11

12.63

76.69
SQ.MT.

10

12.52

76.08
SQ.MT.

9

12.44

75.62
SQ.MT.

8

12.34

74.86
SQ.MT.

7

12.21

74.23
SQ.MT.

6

12.13

73.72
SQ.MT.

5

12.03

73.03
SQ.MT.

4

11.91

72.39
SQ.MT.

3

11.82

71.89
SQ.MT.

2

11.74

104.59
SQ.MT.

1

11.62

RETAIL
171.72
SQ.MT.

11.53

1734/1

134.30
SQ.MT.

16

13.86

96.09
SQ.MT.

17

13.56

94.00
SQ.MT.

18

13.26

91.91
SQ.MT.

19

12.96

89.82
SQ.MT.

20

12.66

87.73
SQ.MT.

21

12.37

85.64
SQ.MT.

22

12.07

83.55
SQ.MT.

23

11.77

71.46
SQ.MT.

24

11.51

50.05
SQ.MT.

S.W.M.

PARK
290.96
SQ.MT.

6.87

4.30M

4.30M

4.30M

EXISTING SECTOR ROAD 24.0 M. WIDE

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जॉन

नोट

1. कार्नेर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम
2. आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 28.
3. योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 9 प्रमाणिकरण तहसीलद्वारा किया गया है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक
5. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 446 जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र
6. योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2 के यू-1 आवासीय दर्शित है।
7. इनफॉर्मल कॉमर्शियल भूखण्ड की प्लानिंग मय (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.202
8. योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अ
9. बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भू (भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

અમીન
જોન-12

1. कार्गर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
2. आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 26.07.2023 को हो चुकी है।
3. योजना की भूमि में रा.सू.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
4. टाउनशिप पौलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 13, 14, 16, 17, 18 कुल भूखण्ड 5 कुल क्षेत्रफल 501.11 वर्गमीटर है, को जविर्मा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रचना रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
5. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 440 वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
6. योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के यू-1 अवस्थान दर्शित है।
7. इनफार्मल कॉमर्शियल भूखण्ड की प्लानिंग मय पाथ-वे/पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार जावेगा।
8. योजना मानचित्र टाउनशिप पौलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
9. बीपीसी (एल.पी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर एवं सैटबैक जविर्मा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

~~उप नगर नियोजक~~
जोन-12

तहसीलदार
जोन-12

उपायुक्त
जोन-12

वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अनुप चौधरी
पटवारी जॉन-12
ज.वि.प्रा. जयपुर

मास्टर विकास योजना २०२५ के अनुसार भू उपयोग
आवासीय भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-

१	कुल आवासीय भूखण्ड	=	24
२	स्वर्ग व्यक्तमणिक भूखण्ड	=	

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1	RESIDENTIAL	3356.13	57.70 %
2	RETAIL	171.72	02.95 %
TOTAL = (1 + 2)		3527.85	60.65 %
3	PARK	290.86	05.00 %
4	S.W.M.	50.05	00.86 %
5	MOBILE TOWER	10.00	00.17 %
6	PU (TOILET)	10.00	00.17 %
7	ROAD 60 MT.	480.63	08.26 %
8	ROAD 24 MT.	265.33	04.57 %
9	ROAD	1181.98	20.32 %
TOTAL = (3 TO 9)		2288.85	39.35 %
SCHEME AREA		5816.70	100.00 %
		00.58167 HECT.	

योजना की भूमि की राशूरा अधिनियम की धारा 90 ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमापीकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम
तहसीलदार

नाम
उपायुक्त जौन—

349

बी.पी.सी. / जी. एल. सी. की बैठक संख्या 11-8-23

की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

योजना का नाम:-

जोन संख्या =
पैमाना :- 1:500

सहायक नगर नियोजक	अति.सहायक नगर नियोजक	वरिष्ठ नगर नियोजक
---------------------	-------------------------	----------------------

जयपुर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT :-



Cad Max
PROJECTS (P) LTD.

301, Prism Tower, Opp. Police Headquarter,
LaKothi scheme, Tonk Road JAIPUR (RAJ) 302015
PH: 0141-4113111, Mob: +91-9829046031